को नियुक्त करते हैं जो पैनल में दर्ज नहीं हैं । स्थायी काउंसलों और पैनल काउंसलों को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है । कुछ काउंसेल निश्चित अवधि की समाप्ति से पूर्व भी त्याग पत्र दे सकते है या उन्हें पैनल से हटाया जा सकता है और ऐसे मामलों में नए काउंसेल नियुक्त किये जा सकते है । नए काउंसेलों के भी नाम विद्यमान पैनल में जोड़े जा सकते हैं । उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में, संघ की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं के, जो संघ के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करते है, नामों की कोई समकित सूची नहीं रखी गई है । अधिवक्ताओं को, उनकी अर्हताओं, अनुभव, बार में उनकी ख्याति, सक्षमता और इसी प्रकार की बातों के आधार पर, न कि किन्हीं अन्य आधारों पर, नियुक्त किया जाता है ।

सरकारी अधिक्ताओ की फीस

2264. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** क्या **निधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय के आदेशानसार सरकारी अधिवक्ताओं को वही फीस और अन्य सुविधायें दी जा रही हैं जो पन्द्रह वर्ष पहले उन्हें दी जाती थीं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके बाद कभी भी उक्त आदेश का पुनरीक्षण नहीं हुआ और यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती महंगाई तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुये इन अधिवक्ताओं की फीस तथा अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जहां तक कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के काउन्सलों और अन्य पेनल काउन्सलों का प्रश्न है उनको संदेय फीसें और अन्य फायदे निधि और न्याय मंत्रालय के लेखि कार्य विभाग द्वारा अधिकथित निबंधनो और शर्तों के अनुसार न कि संबद्ध उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुसार दिए जाते हैं; ऐसे मामलों में जहां किसी जिला न्यायालय के समक्ष भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया जाना होता है प्रायः संबद्ध राज्य सरकार के सरकारी लीडर को नियुक्त किया जाता है और उसे फीस, उसे लागू नियमों के अनुसार तथा संबद्ध राज्य के विधि परामर्शी द्वारा यथा प्रमाणित रूप में दी जाती है ।

(ख) उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के काउन्सेल और पैनल काउन्सेल को लागू निबंधनों और शर्तों का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया गया है ।

Scarcity of cement

2265. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prices of open market cement have shown a steady rise and there is scarcity of the commodity in the country;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken by Government to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) and (b) Non-levy cement is free from price and distribution control. The production of cement has increased from 27 million tonnes in 1983-84 to 30.17 million tonnes in 1984-85, thereby improving the availability of cement in the country. However, there has been recently increased in the demand for cement